भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †3895

उत्तर देने की तारीख 16 मार्च, 2026

25 फाल्गुन, 1947 (शक)

बांदा लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में मिनी स्टेडियमों की स्थापना

†3895. श्रीमती कृष्णा देवी शिवशंकर पटेल:

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्तर प्रदेश के बांदा चित्रकूट लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत पबेरू, अतर्रा, मऊ, मानिकपुर, राजापुर, चित्रकूट और कर्वी क्षेत्रों में एक मिनी स्टेडियम का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार की गई कार्य-योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्वीकृति प्रदान किए जाने की संभावना है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार बढ़ती हुई युवा आबादी और खेल प्रतिभाओं को ध्यान में रखते हुए इन क्षेत्रों में लघु स्टेडियमों के निर्माण के लिए कोई विशेष पैकेज अथवा वित्तीय सहायता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (घ) 'खेल' राज्य विषय होने के कारण बढ़ती युवा जनसंख्या एवं खेल प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए मिनी स्टेडियम की स्थापना, कार्य योजना तैयार करने, और मिनी स्टेडियमों के निर्माण हेतु विशेष पैकेज या वित्तीय सहायता प्रदान करने सहित खेलों के विकास का उत्तरदायित्व मुख्य रूप से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का होता है। केंद्र सरकार केवल महत्वपूर्ण कमियों को दूर करके उनके प्रयासों में सहायता करती है। इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित खेलो इंडिया स्कीम और राष्ट्रीय खेल

विकास निधि (एनएसडीएफ) मांग-आधारित स्कीमें हैं जिसके अंतर्गत खेल अवसंरचना के विकास हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और अन्य पात्र संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों पर उनकी पूर्णता, तकनीकी व्यवहार्यता और स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि के आधार पर वित्तीय सहयोग हेतु विचार किया जाता है।

खेलो इंडिया स्कीम और एनएसडीएफ के अंतर्गत उत्तर प्रदेश राज्य सहित देशभर में स्वीकृत खेल अवसंरचना परियोजनाओं का विवरण मंत्रालय के डैशबोर्ड https://mdsd.kheloindia.gov.in और http://www.nsdf.yas.gov.in/nsdf-glance.html.पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है।
